राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1738/2024

डॉ. मुरारी लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. उप संभागीय अधिकारी, नैनवा, बूंदी (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.05.2024
आदेश की दिनांक : 15.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 23.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करते हुये कार्यग्रहण करवाकर समस्त पारिणामिक एवं सेवा लाभ आदि प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर हाल ही निलंबित मुख्यालय कार्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उप जिला चिकित्सालय, नैनवा, जिला बूंदी में कार्य कर रहा था और ड्यूटी के दौरान मरीज अनिता बंजारा सामान्य ओपीडी में आयी और पेट दर्द के संबंध में कहा, जिसके बाद उसे पेट दर्द की दवाईयां दी गई। जबकि उक्त मरीज ने यह नही बताया कि उसे प्रेग्नेसी के 7 माह

हो चुके हैं और वह दूसरे महिला डॉक्टर के पास परामर्श हेतु गई और उक्त मरीज पुनः चिकित्सालय आयी और जिसके चलते उसने एक शिशु को जन्म दिया, जिसके संबंध में अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। परंतु उसे तुरंत सही उपचार दिया गया, उसका शिशु भी सही है। परंतु खुले में बैंच पर महिला के हुये प्रसव के प्रकरण में उपखंड अधिकारी, नैनवा, बूंदी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 23.04.2024 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ड्यूटी चार्ट का कोई अवलोकन नहीं किया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध कई आरोप लगा दिये गये। जबकि वास्तविकता में अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही अपने कर्तव्यों के प्रति नहीं बरती गई। अपीलार्थी हमेशा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से सेवायें देती आ रही है। उसके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही, परंतु झूठे एवं गलत आरोप लगाते हुये अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 23.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को बहाल करते हुये कार्यग्रहण करवाकर समस्त पारिणामिक एवं सेवा लाभ आदि प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जांच पडताल की गई और दोषी पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी एवं महिला चिकित्सक सहित 7 अन्य कार्मिकों की लापरवाही पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निष्कर्ष दिया गया। अपीलार्थी की लापरवाही प्रमाणित मानी है, जिसके क्रम में अपीलार्थी को नियमानुसार निलंबन आदेश जारी किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि अपीलार्थी को तीन माह से अधिक का समय निलंबित हुये हो चुका है, परंतु आज दिनांक तक अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015(3) एससीसी 107 में पारित आदेश जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि 90 दिवस के अंदर यदि आरोप पत्र निलंबित कार्मिक को नहीं दिये जाने पर उसे निलंबित रखा

जाना अनुचित माना है। अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है, परंतु आज दिनांक तक उसे कोई आरोप पत्र प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिया गया। अतः उक्तानुसार अपीलार्थी को भी निलंबन से बहाल किया जावे। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर हाल ही निलंबित मुख्यालय कार्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर कार्यरत है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उसके कर्तव्यों के प्रति मरीज का ध्यानपूर्वक देखभाल एवं उपचार के संबंध में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण उसे सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 23.04.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को तीन माह (90 दिवस) से अधिक समय हो चुका है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जा चुका है। जबकि अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally*

recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.

So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore, these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."

इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 23.04.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी का नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग स्वतंत्र है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष